7* पेंशन का सारांशिकरण

7.1 तात्पर्य–

यह पेंशन के किसी भाग के सारांशिकरण मूल्य का एक–मुश्त भुगतान है। सारांशिकरण मूल्य की राशिं कंडिका 7.8 में दर्शाई गई है । उक्त दर दिनांक 1–8–2012 से प्रभावशील है

7.2 पात्रता –

प्रत्येक पेंशनर उसकी मासिक पेंशन के किसी भाग (एक तिहाई की अधिकतम सीमा के धीन) एक मुश्त भुगतान हेतु सारांशिकृत कराने हेतु पात्र है । असमर्थता पेंशन के प्रकरणों को डकर सभी प्रकरणों में स्वीकृत/स्वीकार्य पेंशन के 1/3 भाग की अधिकतम सीमा के अंदर शन के किसी भाग का सारांशिकरण कराया जा सकता है । असमर्थता के प्रकरण में, यदि न्यूनतम पेंशन स्वीकृत/स्वीकार्य है तो वास्तविक स्वीकृत पेंशन के किसी भाग का ही ारांशिकरण किया जा सकता है और यह भाग न्यूनतम पेंशन से कम किया जाता है यदि किसी पेंशनर के विरूद्ध कोई न्यायिक या विभागीय जांच चालू है या चालू की गई है तो उसे पेंशन के सारांशिकरण की पात्रता जांच लंबित रहने
तक नहीं है ।

7.3 सारांशिकरण की प्रभावशीलता–

(1) ऐसे प्रकरणों में, जहां सारांशिकरण हेतु आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति की तारीख को अथवा उसके पूर्व प्राप्त हो जाते है – सेवानिवृत्ति की तिथि के आगामी दिनांक को।

(2) जहां बिना चिकित्सीय जांच के सारांशिकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष के अंदर कार्यालय प्रमुख को प्राप्त हो जाते है – कार्यालय प्रमुख को प्राप्ति दिनांक।

(3) चिकित्सा जांच के प्रकरणों में –

उस दिनांक को जब चिकित्सा प्राधिकारी, चिकित्सा प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करता है ।

7.4 सारांशिकृत राशि की गणना –

पेंशन के किसी भाग के सारांशिकरण कराने पर देय राशि का निर्धारण राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित सारांशिकरण मूल्य के आधार पर किया जाता है । सारांशिकरण मूल्य, पेंशनर की सेवानिवृत्ति के बाद आगामी जन्म दिनांक को आयु अथवा चिकित्सा प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट आयु के सापेक्ष होता है । सारांशिकरण कराने के पश्चात देय राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है :–

देय राशि = पेंशन की सरांशिकृत राशि x 12 x विद्यमान सारांशिकरण मूल्य

(वर्षो की संख्या के क्रय के रूप में कम्यूटेशन मूल्य)

7.5 सारांशिकरण पर पेंशन की कटौती –

सारांशिकरण के कारण पेंशन की राशि में कटौती सारांशिकृत राशि पेंशनर द्वारा प्राप्त करने के दिनांक से अथवा सारांशिकरण प्राधिकार पत्र जारी होने के दिनांक से तीन माह बाद से जो भी पहले हो, प्रभावशील हो जाती है ।

7.6 सारांशिकरण राशि का पुनरीक्षण –

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप जब पेंशन का पुनरीक्षण किया जाता है तो पुनरीक्षित सारांशीकृत राशि का भुगतान भी प्राधिकृत किया जाता है एवं इस हेतु पेंशनर को औपचारिक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती । परन्तु जहां पूर्व में एक निश्चित राशि का (पेंशन के किसी भाग का नहीं) ही सारांशिकरण कराया गया था, सारांशीकृत राशि का पुनरीक्षण नहीं किया जाता है ।

7.7 सारांशिकरण भाग का पुनर्स्थापन –

पेंशनर जिस माह में 15 वर्ष अथवा 75 वर्ष की आयु (18 फरवरी 2002 के पश्चात के प्रकरणों में प्रभावशील) जो भी पश्चातवर्ती हो पूर्ण या सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के पश्चात जो भी पश्चातवर्ती हो उसके आगामी माह की पहली तारीख से पेंशन का लघुकृत भाग, पेंशनर द्वारा आवेदन करने पर, पुनः स्थापित कर दिया जाता है । अतः उक्त दिनांक से उसे मूल पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाता है । दिनांक 5–2–2013 से साराशीकृत राशि का प्रत्यावर्तन सारांशीकरण की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने के अगले माह की प्रथम तारीख से होगा।

7.8 सारांशिकृत मूल्य तालिका (दिनांक 18.2.2000 से प्रभावशील एक रूपया प्रतिवर्ष पेंशन का कम्यूटेशन मूल्य)

अगली जन्मतिथि पर आयु	वर्षो की संख्या के क्रय के रूप में कम्यूटेशन मूल्य
(1)	(2)
39	9.103
40	9.090
41	9.075
42	9.059
43	9.040
44	9.019
45	8.996
46	8.971
47	8.943
48	8.913
49	8.881
50	8.846
51	8.808
52	8.768
53	8.724
54	8.678
55	8.627
56	8.572
57	8.512
58	8.446
59	8.371
60	8.287
61	8.194
62	8.093
63	7.982
64	7.862
65	7.731
66	7.591
67	7.431
68	7.262
69	7.083
70	6.897